"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 136] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मार्च 2014— चैत्र 1, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-19/2013/सात-2/राजस्व. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में ,-

अनुसूची-तीन में, सरल क्रमांक-3 के कॉलम (6) की प्रविष्टि क्रमांक (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रतिमिनट की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जायेगी)."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव

Naya Raipur, the 6th March 2014

NOTIFICATION

No. F 2-19/2013/7-2/Revenue. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Revenue (Class III Ministerial) Services Recruitment Rules, 1985, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

In Schedule-III for entry number (2) of column (6) of serial number-3, the following shall be substituted, namely :-

"60 words per minute Speed in Hindi Stenography (Shorthand) Efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P. NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.